अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान,
चिकित्सा, एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141–5110731, E mail ID : kayakalp.raj@gmail.com

क्रमांकः– F 50 (1) NHM / Kayakalp / 2019 / 1249 दिनांकः– 17/3/20

संयुक्त निदेशक
समस्त जोन।

विषय :–कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु किये जाने वाले उपायों के क्रम में।
संदर्भः–IDSP/2020/287 दिनांक 16.03.2020 एवंIDSP/कोरोनावायरस / 2020 / 34दिनांक16.03.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। इसी क्रम में आपके अधीन आने वाले संभाग के समस्त अस्पताल, होटल, पर्यटन स्थल एवं सार्वजनिक स्थान जहां भीड की संभावना अधिक होती है जिसके फलस्वरूप संक्रमण फेलने की संभावना बनी रहती है उन स्थानों पर संलग्न चैक पॉइन्टस के आधार पर फर्श, रेलिंग, दरवाजे, खिडकियां, बेंचेज इत्यादि को प्रतिदिन 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्युशन के माध्यम से विसंक्रमित करवाया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही उक्त स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में आई.ई.सी. के माध्यम से लोगों को उक्त वायरस से संक्रमण रोकने के संबंध मे जागरूक करें एवं निम्नाकिंत बिन्दुओं की अनुपालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करे–

1 संलग्न चैक लिस्ट को पर्यटन स्थलो / सार्वजनिक स्थानों पर लगवाकर विसंक्रमित (Disinfected) करवाना एवं निरन्तर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करे।
2 माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार 04 मार्च 2020 से आप द्वारा किये गये विसंक्रमण (Disinfection) का विवरण दो पृष्ठो मे मय फोटोग्राफ एवं यदि संभव हो तो विडियो राज्य स्तर ईमेल आई डी rajasthan_idsp@yahoo.co.in एवं swachhta.raj@gmail.com तथा whatsapp number 9414036603 दिनांक 18.03.2020 को 02.00 बजे तक आवश्यक रूप से भिजवाना भी सुनिश्चित करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

विशिष्ठ शासन सचिव
चिकित्सा ,स्वास्थ्य एंव प.क.विभाग
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांकः– F 50 (1) NHM / Kayakalp / 2019 / 1249 दिनांकः– 17/3/20

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क.।
2. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. जिला कलेक्टर, समस्त।
4. निदेशक जन स्वास्थ्य / आरसीएच।
5. अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ।
7. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (स्वास्थ्य) / आरसीएचओ ।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक ग्रामीण एवं शहरी ।
9. प्रभारी सर्वर रूम।

ओएसडी

	Checklist to be displayed at Tourist places/Public places for Disinfection									
	Name of the Place	Public Places/ Tourist Places/ Private Hospitals/ Hotles/ Religious Places/ Garden Areas/ Malls etc.								
		Yes/No								
	Check points	17-Mar	18-Mar	19-Mar	20-Mar	21-Mar	22-Mar	23-Mar	24-Mar	
1	Availability of Hypochlorite Solution									
2	Availability of Mask for Service Provider									
3	Availability of Gloves for Service Provider									
4	Mopping of Floors									
5	Cleaning of Railings									
6	Cleaning of Windows									
7	Cleaning of Gates									
8	Cleaning of Door Handles									
9	Cleaning of Linen									
10	Cleaning of Curtains									
11	Cleaning of Table / Chairs/ benches etc.									
12	Cleaning of Counters									
13	Availibility of Hand Sanitizer/Liquid hand wash									
14	Hand washing steps display at each washbasin									
15	General Waste disposal									
16	disposal of Bio medical waste (Hospitals)									
17	Availability of Isolation ward at each hospital									
18	IEC regarding preventive measures									
	etc.									

1. Please include the report of any other places where probability does exist for spreading of infection .
2. Method of preparing 1% hypochlorite solution

- Capacity of 5% Hypochlorite Solution- 10 Liters of water and 2 litre of Hypochlorite solution
- Capacity of 10% Hypochlorite solution- 10 Litres of water and 1 litre of Hypochlorite solution

समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

निर्देशानुसार लेख है कि देश एवं प्रदेश में कोरोना वायरस (nCOVID-19) के प्रकोप के कारण इस रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन्स के अनुसार इन्फेक्शन प्रिवेन्शन एण्ड कंट्रोल, कन्टेनमेंट प्लॉन तथा डिसइन्फेक्शन पॉलिसी आदि के अनुसार मेडिकल कॉलेज स्तर के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई SOP (Standard Operating Procedures for Rapid Response Teams for Prevention and Control of nCOVID 19 suspect and Confirmed Cases) के अनुसार रेपिड रेस्पोन्स टीमों द्वारा तत्वरित कार्यवाही करवाई जावें।

इसके साथ ही समस्त संयुक्त निदेशक, जोन-राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ जिलों में कोरोना वायरस (nCOVID-19) रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु Active and Passive surveyallance तुरन्त करवाया जावे। मुख्य रूप से मन्दिरों, मस्जीदों, गुरूद्वारा, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर Disinfection करवाया जाकर कर सूचना सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी (OIC) एवं विभाग की मेल आईडी SSU Rajasthan rajasthan_idsp@yahoo.co.in पर तुरन्त भिजवायें। इस सम्बंध में राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा दूरभाष पर वांछित सूचना तुरन्त उपलब्ध करवाई जावे। इसके साथ ही सभी अस्पतालों में उक्त हेतु पृथक से आईसोलेशन वार्ड, आई.सी.यू. बेड, जीवनरक्षक उपकरण, पी.पी.ई., वीटीएम एवं दवाईयों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करा कर अवगत करावें।

उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें, इसमें लापरवाही बरती जाने पर सम्बन्धित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनके विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ० के०के० शर्मा)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःआईडीएसपी/कोरोना वायरस/2020/3 ५ दिनांकः 16.03.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मिशन निदेशक, एमएचएम, मुख्यालय।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. निदेशक (आरसीएच/एड्स), मुख्यालय।
7. अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य), मुख्यालय।
8. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को मेल द्वारा भिजवाते हुये विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

संयुक्त निदेशक जोन/
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त राजस्थान।

विषय :— कोरोना वायरस से सम्बन्धित दैनिक रिपोर्ट भेजने बाबत।

जैसा कि आपको विदित है कोरोना वायरस संक्रमण विश्व के विभिन्न देशों में व भारत में फैल चुका है तथा भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा इस बीमारी को महामारी घोषित किया जा चुका है। प्रायः यह देखा गया है कि जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रपत्रों में रिपोर्ट समय पर नहीं भिजवाई जा रही है। अतः इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा चाही गयी विभिन्न दैनिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्रों में प्रतिदिन दोपहर 02.00 बजे तक राज्य स्तर पर आईडीएसपी की ईमेल rajasthan_idsp@yahoo.co.in द्वारा व संबन्धित अधिकारियों के वाट्सएंप पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

समस्त संयुक्त निदेशक जोन अपने अधीनस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त कर उपरोक्तानुसार भिजवाना सुनिश्चित करें।
Infection Control की दैनिक रिपोर्ट Revised Format में प्रभारी अधिकारी के मोबाईल नम्बर 94140 ([illegible])
36603 पर भी प्रतिदिन भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :— Infection Control Revised Format No. 4

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक: 16.03.2020

क्रमांक: IDSP/2020/287
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, विशिष्ठ सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक एनएचएम, राजस्थान।
3. निजी सचिव, निदेशक आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, विशेषाधिकारी एनएचएम, राजस्थान जयपुर।
5. अति. निदेशक (ग्रा. स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
6. राज्य नोडल ऑफिसर (आईडीएसपी), मुख्यालय।
7. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई—मेल करने वास्ते।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।